18.11.22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक् से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर चैंबर से जमा हो।

उप [illegible] अधिकारी
दौ[illegible] (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:48:14 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम दौसा
व इजलास संजय कुमार गोरा आर.ए.एस.

वादीगणः

1. भगवानसहाय पुत्र प्रभूदयाल कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
2. रामचन्द्र पुत्र प्रभूदयाल कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
3. विनोद पुत्र प्रभूदयाल कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
4. गोरा देवी पत्नि स्व0 प्रभूदयाल कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
5. राजेन्द्र पुत्र नहनूराम कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
6. रामकिशन पुत्र नहनूराम कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।

बनाम

प्रतिवादीगणः

1. आनन्दी पत्नि घीस्या कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
2. कमली पुत्री घीस्या कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
3. कैलाशी पुत्री घीस्या कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
4. प्रेम पुत्री घीस्या कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
5. रामजीलाल पुत्र घीस्या कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
6. सुरेश पुत्र घीस्या कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
7. सोहना उर्फ सोन्या पुत्र धन्ना कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
8. राजू पुत्र घीस्या कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा।

दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज राजस्व रिकार्ड

मुकदमा नम्बर : 51/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व हाजरी मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म र जाता है व डिक्री दी जाती है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 268/2 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर /2 रकबा 0.17 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा के 1/4 से पर प्रभूदयाल के वारिसान वादी नंबर 1 लगायत 4 को, 1/4 हिस्से पर नहनूराम के वारिसान वादी नंबर 6 को, 1/4 हिस्से पर घीस्या के वारिसान प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 6, 8 को, 1/4 हिस्से पर धन्ना के रिस प्रतिवादी नंबर 7 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दौसा डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड अमल–दरामद करे।

निज ———— मुबलिग ———— बाबत ———— खर्चा मुकदमे के मय सूद बशरह ———— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ———— अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.11.2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:48:14 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

दस्तखत
ओहदा उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

लगातार....2.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा

पीठासीन अधिकारी:	संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या:	51/2022
दायर दिनांक:	22.08.2022
निर्णय दिनांक:	18.11.2022

उनवान

1. भगवानसहाय पुत्र प्रभूदयाल कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
2. रामचन्द्र पुत्र प्रभूदयाल कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
3. विनोद पुत्र प्रभूदयाल कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
4. गोरा देवी पत्नि स्व0 प्रभूदयाल कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
5. राजेन्द्र पुत्र नहनूराम कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
6. रामकिशन पुत्र नहनूराम कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।

वादीगण

बनाम

1. आनन्दी पत्नि घीस्या कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
2. कमली पुत्री घीस्या कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
3. कैलाशी पुत्री घीस्या कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
4. प्रेम पुत्री घीस्या कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
5. रामजीलाल पुत्र घीस्या कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
6. सुरेश पुत्र घीस्या कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
7. सोहना उर्फ सोन्या पुत्र धन्ना कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
8. राजू पुत्र घीस्या कौम कोली निवासी जीरोता खुर्द तह0 व जिला दौसा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा।

प्रतिवादीगण

<u>दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज राजस्व रिकार्ड</u>

वादीगण ने वाद बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा नंबर 268/2 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 269/2 रकबा 0.17 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा में स्थित है। उक्त भूमि में वादीगण के बाबा धन्ना पुत्र सेवा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रहे है। उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है। सेवा के तीन पुत्र धन्ना, छोट्या, मोहना थे। मोहना पुत्र सेवा ना[illegible] के हिस्से की भूमि के मालिक व हकदार धन्ना, छोट्या हुए। इस प्रकार उक्त [illegible] भूमि वादीगण के पिता धन्ना पुत्र सेवा के नाम दर्ज हो गई। धन्ना पुत्र सेवा के चार [illegible], प्रभू, नहना उर्फ नहनूराम, सोन्या है। वादीगण की विर[illegible] जीरोता खुर्द घीस्या, प्रभू, नहना उर्फ नहनूराम, सोन्या पिसरान धन्ना के [illegible] में खोला गया, जिसका अमल दरामद भी उक्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 में हो गया अर्थात उक्त भूमि वादीगण के बाबा प्रभू, नहना उर्फ नहनूराम की खातेदारी में दर्ज हो गई। उक्त भूमि बाद में संवत् 2046 से 2049 की जमाबंदी में धन्ना के हिस्से की भूमि घीस्या पुत्र नहना व

लगातार ....2....

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:48:14 IST
Reason: SelfAttested

सोन्या पुत्र धन्ना के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी एवं प्रभु, नहना के नाम गलत रूप से खातेदारी से हटा दिये व घीस्या को गलत रूप से नहना का पुत्र दर्ज कर दिया। जबकि घीस्या तो धन्ना का पुत्र है। उक्त भूमि में धन्ना के हिस्से पर व मोहना के 1/2 हिस्से पर इस प्रकार कुल रकबा 1.08 है0 भूमि के 1/2 हिस्से पर धन्ना के वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण हकदार व काबिज काश्तकार अर्से दराज से बदस्तूर काबिज चले आ रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज उक्त 0.37 है0 भूमि के हकदार व काबिज काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण हैं, जिसमें प्रभूदयाल के वारिसान वादीगण नंबर एक लगायत चार 1/4 हिस्से के, नहना उर्फ नहनूराम के वारिसान वादीगण नंबर पांच व छः 1/4 हिस्से के, प्रतिवादीगण नंबर एक लगायत छः व आठ 1/4 हिस्से के, प्रतिवादी नंबर सात 1/4 हिस्से के हकदार व काबिज काश्तकार हैं। वादीगण को कानूनन अधिकार प्राप्त है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज 0.37 है0 उक्त भूमि के 1/4 हिस्से पर वादीगण नंबर एक लगायत चार को, 1/4 हिस्से पर वादीगण नंबर पांच व छः को, 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी नंबर एक लगायत छः व आठ को, 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी नंबर सात को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी कदर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कराये जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि उक्त भूमि का अन्यत्र रहन बय दान हस्तान्तरण नहीं करे व उक्त भूमि को कब्जे काश्त वादीगण में रहने दे, कब्जे काश्त वादीगण में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उत्पन्न नहीं करे। अतः उक्तानुसार डिक्री वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ जारी करने का अनुरोध किया गया है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से जवाव दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 268/2 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 269/2 रकबा 0.17 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा में स्थित है। दावा डिक्री करके दुरूस्ती कर दी जावे इसमें हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। वादीगण का नाम अवैधानिक रूप से हटाया गया है। उक्त भूमि में प्रभूदयाल के वारिसान का 1/4 हिस्सा, नहनूराम के वारिसान का हिस्सा 1/4 हिस्सा, घीस्या के वारिसान का 1/4, सोहना उर्फ सोन्या पुत्र धन्ना का 1/4 हिस्सा है। अतः जवाव प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा डिक्री किया जावे तथा विवादित भूमि खसरा नंबर 268/2 रकवा 0.20 है0, खसरा नंबर 269/2 रकवा 0.17 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.37 है0 वाके ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा के 1/4 हिस्से पर प्रभूदयाल के वारिसान वादी नंबर 1 लगायत 4 को, 1/4 हिस्से पर नहनूराम के वारिसान वादी नंबर 5, 6 को, 1/4 हिस्से पर घीस्या के वारिसान प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 6, 8 को, 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी नंबर 7 सोहना उर्फ सोन्या पुत्र धन्ना को खातेदार काविज काश्तकार घोषित करे तथा इसी कदर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करावें।

वादीगण की ओर से रामकिशन पुत्र नहनूराम पी.डब्लू.-1 एवं गांगू पत्नि रामकिशन पी.डब्लू.-2 के शपथ-पत्र साक्ष्य वादी पेश किया गया। इन दोनों की ओर से वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य माना है।

लगातार ....3....

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:48:14 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से दावे एवं जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तदनुसार डिक्री जारी करने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया। वादीगण की ओर से राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज प्रश्नगत भूमि 0.37 है0 में 1/4 हिस्से पर वादीगण नंबर एक लगायत चार को, 1/4 हिस्से पर वादीगण नंबर पांच व छः को, 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी नंबर एक लगायत छः व आठ को, 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी नंबर सात को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित करने तथा तदनुरूप राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। वादीगण का नाम अवैधानिक रूप से हटाया गया है। अतः दावा डिक्री करके दुरूस्ती करने में प्रतिवादीगण ने उन्हे कोई आपत्ति नहीं होना अवगत कराया है। वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से गलत रूप से हटाया जाना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से साबित है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 की सहमति एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री किया जाता है विवादित भूमि खसरा नंबर 268/2 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 269/2 रकबा 0.17 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा के 1/4 हिस्से पर प्रभूदयाल के वारिसान वादी नंबर 1 लगायत 4 को, 1/4 हिस्से पर नहनूराम के वारिसान वादी नंबर 5, 6 को, 1/4 हिस्से पर घीस्या के वारिसान प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 6, 8 को, 1/4 हिस्से पर धन्ना के वारिस प्रतिवादी नंबर 7 को खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो कि डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया था मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (रा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:48:14 IST
Reason: SelfAttested